न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/525

प्रकरण संख्या 46/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. मोहनलाल पिता श्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
2. उदयलाल पिता श्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
3. प्रेमबाई पिता श्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
4. पार्वतीबाई पिता श्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
5. बाबरी बाई पत्नि श्री बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
6. रतनलाल पिता श्री सवलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
7. मांगीलाल पिता श्री सवलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
8. शांतीबाई पिता श्री सवलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।
9. मोतीबाई पत्नि श्री सवलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड़ उदयपुर।

.................प्राथीयां

बनाम

1. श्री घीसालाल पिता श्री चतरभूज मोग्या निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
2. श्री बाबरू पिता श्री चतरभुज मोंग्या निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
3. श्री चम्पालाल पिता श्री चतरभुज मोंग्या निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
4. श्री कैलाश पिता श्री नंदा मोंग्या निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
5. श्री सुरेश पिता श्री छगनलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
6. श्री बद्रीलाल पिता श्री नारायणलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
7. श्री प्रभुलाल पिता श्री मोतीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
8. श्री उदयलाल पिता श्री भैरूलाल जाट निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तह. कानोड़, उदयुपर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर।

............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश डांगी
अधिवक्ता अप्रार्थी : श्री बाबूलाल डांगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक : 3[illegible]2022**

1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा संग्रामपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागरी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कानोड़, तहसील कानोड़ के खाता संख्या 299 की आराजी संख्या 121 रकबा 2–04 बीघा एवं आराजी संख्या 122 रकबा 7–01 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 09–05 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण के नाम पर हिस्से अनुसार खातेदारी हक से अंकित है। प्रार्थना पत्र के उपरोक्त वर्णित आराजियात के राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्से अनुसार ही प्रार्थीगण एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है एवं उपरोक्त आराजियात में प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार इत्यादी नही है। विपक्षी संख्या 1 से 4 आये दिन प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात की सीमा को लेकर बेवजह विवाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की कौशिश करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजीयात का सीमांकन करा कर पक्की पत्थरगढ़ी करना चाहते है, जिससे प्रार्थीगण को बेवजह किसी विवाद का सामना नहीं करना पड़े एवं प्रार्थीगण शांतिपूर्व ढंग से अपनी उपरोक्त आराजियात का उपयोग–उपभोग कर सके। बिनाय प्रार्थना पत्र अंतिम बार दिनांक 21.11.2019 को पैदा हुई, जब विपक्षी संख्या 1 से 4 ने बेवजह मौके पर सीमा संबंधी विवाद किया एवं प्रार्थीगण के हक, अधिकारों को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हुए। विपक्षी संख्या 5 से 8 प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के पड़ौसी है एवं विपक्षी संख्या 9 आवश्यक पक्षकार है, जिससे उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 से 9 को भी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

2 अतः प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरौक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात का नियमानुसार सीमांकन कराया जाकर पक्की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3 हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जवाब का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः बार–बार अवसर देने के बाद भी जवाब नहीं देने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का जवाब बन्द किया गया तथा शेष पक्षकार न्यायालय में बाद तामिल उपस्थित नहीं होने ... कार्यवाही अमल में लायी गयी।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का ... पूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस ... जिसमें मौजा संग्रामपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागरी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कानोड़, तहसील कानोड़ के खाता संख्या 299 की आराजी संख्या 121 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर,
जिला-उदयपुर (राज.)

2–04 बीघा एवं आराजी संख्या 122 रकबा 7–01 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 09–05 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर हिस्से अनुसार खातेदारी हक से अंकित है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5 अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोनाड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा संग्रामपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागरी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कानोड़, तहसील कानोड़ के खाता संख्या 299 की आराजी संख्या 121 रकबा 2–04 बीघा एवं आराजी संख्या 122 रकबा 7–01 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 09–05 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर हिस्से अनुसार खातेदारी हक से अंकित है जिसकी **वर्तमान भू. प्रबन्धन के बाद नए खाता नम्बर के नए आराजी नम्बर** की पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर • जिला–उदयपुर (राज.) •

31/5/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested